भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2713
(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946(शक) को दिया जाना है)

पेंच टाइगर रिजर्व में बेनामी लेनदेन

2713. **श्री डॉ मल्लू रवि:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) ने पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में बेनामी लेनदेन से जुड़ी संपत्तियों को चिन्हित किया है और उन्हें कुर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लगाए गए जुर्माने सहित ऐसी कार्रवाइयों के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) जी हां;

(ख) आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में बेनामी लेनदेन से जुड़ी कुर्क की गई संपत्तियों का ब्यौरा और उसके परिणाम –

(i) पेंच टाइगर रिजर्व के भीतर मध्य प्रदेश के सेवनी जिले की तहसील कुरई के गांव कोहका में स्थित कुल 7.86 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल वाली भूमि (उस पर निर्मित अर्ध-सुसज्जित पक्का गोदाम सहित) को कुर्क किया गया है।

दिनांक 16.12.2022 को ए.सी.आई.टी., बेनामी निषेध इकाई, भोपाल द्वारा पी.बी.पी.टी. अधिनियम, 1988 की धारा 24(4) के तहत पारित अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि न्याय निर्णयन प्राधिकरण, मुंबई द्वारा 20.10.2023 को की गई है। बेनामीदार/लाभार्थी स्वामियों द्वारा दायर अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हैं।

(ii) पेंच टाइगर रिजर्व के भीतर मध्य प्रदेश के सेवनी जिले की तहसील कुरई के ग्राम अवरगनी रैयत में स्थित 1.35 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल वाली भूमि-सह-रिसॉर्ट (1 रेस्टोरेंट, 4 कॉटेज और 20 निर्मित/रोपित सागौन वृक्षों सहित) को कुर्क किया गया है।

ए.सी.आई.टी., बेनामी निषेध इकाई, भोपाल द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पी.बी.पी.टी. अधिनियम, 1988 की धारा 24(4) के अंतर्गत पारित अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि न्याय निर्णयन प्राधिकरण, मुंबई द्वारा 20.10.2023 को की गई है। बेनामीदार/लाभार्थी स्वामियों द्वारा दायर अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हैं।

(iii) पेंच टाइगर रिजर्व के भीतर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की तहसील कुरई के ग्राम टुरिया में स्थित कुल 0.63 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि-सह-रिसॉर्ट को कुर्क किया गया है।

पीबीपीटी अधिनियम, 1988 की धारा 24(4) के तहत एसीआईटी, बेनामी निषेध इकाई, भोपाल द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पारित अनंतिम कुर्की आदेश को गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम संघ भारत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2022 को पारित निर्णय के आलोक में न्याय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा 14.11.2022 को निरस्त कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18.10.2024 को इस निर्णय को वापस लेने के परिणामस्वरूप, अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की गई है जो न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

****